

प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

| अपीलांट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|------|----------------------------------|
| श्री यशोवर्धन शर्मा पुत्र श्री भवानी शंकरजी शर्मा, खागल मौहल्ला, वार्ड संख्या 04 बाडमेर | | लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सायला |
| प्रकरण अपील | | 39 /2017 |
| कम्प्यूटर आई.डी | | 2017/00090 |

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

| | | |
|------------|--|--|
| 07.11.2017 | <p>अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।</p> <p>रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/1095 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील में सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 797067 के संलग्न आवेदन पत्र द्वारा सूचना चाही गई। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सायला ने आवेदित सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/1095 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा डाक से भिजवायी जाना अवगत करवाया है।</p> <p>आवेदित सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी होने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एन.काठारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर</p> | |
|------------|--|--|